नीति सारांश

भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन

अगर हम भारत में सभी चार वर्षीय बच्चों की तस्वीर किसी सुबह लगभग 11 बजे ले पाएं तो वे किन-किन जगहों पर होंगे और क्या कर रहे होंगे?

क्या वे घर पर माता–पिता और अपने भाई–बहनों के साथ होंगे या अन्य परिजनों के साथ होंगे? क्या वे किसी सरकारी पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, जिन्हें आंगनवाड़ी कहा जाता है, वहां पर होंगे या किसी निजी शाला–पूर्व शिक्षा केन्द्र में? या शायद वे अपने बड़े भाई–बहनों के साथ किसी प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में होंगे? लेकिन इससे भी जरुरी बात यह है कि क्या ये सभी शुरुआती अनुभव उन्हें उस तरह से तैयार करने में मदद कर रहे हैं, जिसकी अपेक्षा उनसे जल्दी ही प्राथमिक विद्यालय में की जायेगी?

सच तो यह है कि हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब नहीं हैं। लेकिन बच्चे कहां हैं और किस तरह का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शोध इस बात को दर्शाते हैं कि पांच वर्ष की उम्र तक मस्तिष्क का 90 प्रतिशत तक विकास हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि शुरुआती वर्षों में मिलने वाले वातावरण और सहयोग का बच्चों के भविष्य पर, अर्थात् स्कूली दिनों, और उसके बाद भी, खासा प्रभाव पड़ता है।

उभरते हुए प्रमाण इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत में बच्चों के सीखने में समस्याएं हैं। बच्चे विद्यालय में नामांकित तो हैं लेकिन बुनियादी बातें तक सीखने में नाकाम रहते हैं। इस समस्या की शुरुआत बच्चों के पहली कक्षा में जाने से भी पहले से हो सकती है। शुरुआती वर्षों में बच्चों के लिए जरुरी मदद और प्रोत्साहन को पहचान पाना हमें बच्चों की शिक्षा और सीखने में आने वाली समस्याओं के उभरने और इन्हें बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है।

शोध/अनुसंधान का विवरण

आई.ई.सी.ई.आई. (इंडियन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट स्टडी) अध्ययन एक पांच वर्षीय दीर्घकालीन शोध है, जिसके अंतर्गत भारत के तीन राज्यों– असम, राजस्थान और तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों के लगभग 14,000 बच्चों का, उनकी चार साल की उम्र से आठ साल के होने तक, लगातार अध्ययन किया गया। भारत में अपनी तरह का यह पहला अनुसंधान है, जो इतने बड़े पैमाने पर लम्बे समय तक मिश्रित विधियों के साथ किया गया है। यह अध्ययन शाला–पूर्व शिक्षा में बच्चों की संस्थागत भागीदारी, उनके स्कूल की तैयारी के स्तर, और प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के सीखने की उपलब्धियों को समझने का एक प्रयास है। इस दौरान बच्चों की कक्षाओं का अवलोकन किया गया और उनके परिवार तथा पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों से जानकारी इकट्ठी की गई। इसमें पूर्व–प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता का भी व्यापक आकलन किया गया है। साथ ही, ऐसे कार्यक्रमों की उन विशेषताओं को चिन्हित किया गया जो बच्चों के सकारात्मक विकास परिणामों से संबंधित हैं। यह नीति सारांश (पॉलिसी ब्रीफ) इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों/अनुशंसाओं को संक्षेप में बताता है।

आई.ई.सी.ई.आई. अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

1 अनुसंधान में लिए गए सैंपल के दस में से सात बच्चे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहे हैं। चूंकि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की पहुँच अब एक बड़ा मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए अब भारत शाला-पूर्व शिक्षा में निवेश कर पाने के लिए उचित स्थिति में है।

आई.ई.सी.ई.आई. अध्ययन के लिए किए गए सैंपल में शामिल लगभग सभी गांवों में कम से कम एक सरकारी पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्र की सुविधा, सामान्यतः आंगनवाड़ी के रूप में मौजूद थी। अधिकतर गांवों में एक से अधिक निजी पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्र भी पाए गए। अधिकांश परिवार चार साल की उम्र से ही अपने बच्चों को आंगनवाड़ी या निजी पूर्व–प्राथमिक केन्द्रों में भेज रहे थे।

यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। जब पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की मांग और आपूर्ति दोनों ठीक–ठाक हैं, तो अब यह उचित अवसर है कि पूर्व–प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। साथ ही, इससे वंचित बच्चों के लिए भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की जरुरत है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों और स्कूलों के प्रकार जिनमें चार साल की उम्र में बच्चे पढ़ने जा रहे थे[1]

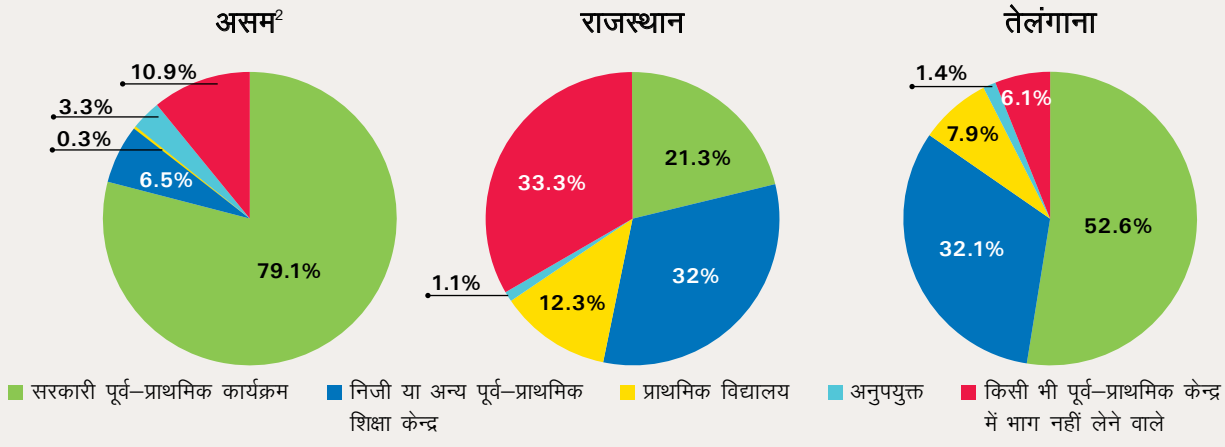

[1] फील्ड वर्क के पहले चरण में बच्चों के एक छोटे अनुपात के लिए संस्थाओं की जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी थी। उन संस्थाओं को इसलिए इस चरण में भाग नहीं लेने वालों में वर्गीकृत किया गया है।

[2] इसमें क श्रेणी में नामांकित बच्चों का एक छोटा अनुपात शामिल है। क श्रेणी असम के कुछ प्राथमिक विद्यालयों के साथ जुड़ी हुई पूर्व–प्राथमिक कक्षा है।

2 बच्चों की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी में काफी विविधता होती है। यह भागीदारी उस तरह के एक समान रैखिक परिपथ का पालन नहीं करती, जैसा नीतिगत दस्तावेज उल्लेख करते हैं या जिसकी अपेक्षा शिक्षा व्यवस्था करती है।

पूर्व–प्राथमिक शिक्षा और शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की भागीदारी अस्थिर और परिवर्तनशील है। जरुरी नहीं है कि यह भागीदारी नीतिगत दस्तावेजों (बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा नीति 2013) द्वारा निर्धारित आयु आधारित दिशा का पालन करती है। कुछ राज्यों में चार वर्षीय बच्चे पहले से ही स्कूलों में हैं (हालांकि जरुरी नहीं कि वे नामांकित हों)। वहीं, कुछ अन्य राज्यों में छः से सात साल के बच्चों की एक बड़ी संख्या अब भी पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में जा रही है। सभी राज्यों में बच्चों की भागीदारी अनियमित है। यह पाया गया कि अक्सर बच्चे पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों और प्राथमिक विद्यालयों के बीच अदला–बदली कर रहे होते हैं और आठ वर्ष की आयु तक आते–आते ही नामांकन स्थिर हो पाता है।

राज्यों में विभिन्न आयु पर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों या विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी

पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की उम्र में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चे

प्राथमिक विद्यालय में 4 साल की उम्र के बच्चे

असम	: 0.3 प्रतिशत
राजस्थान	: 12.3 प्रतिशत
तेलंगाना	: 7.9 प्रतिशत

प्राथमिक विद्यालय जाने की उम्र में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में जा रहे बच्चे

	6 साल की उम्र में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित बच्चे	7 साल की उम्र में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्दों में नामांकित बच्चे
असम	: 54.7 प्रतिशत	: 17.3 प्रतिशत
राजस्थान	: 26.3 प्रतिशत	: 10.3 प्रतिशत
तेलंगाना	: 29.1 प्रतिशत	: 8.6 प्रतिशत

स्कूलों की संरचना, पाठ्यक्रम और प्रक्रियाएं इस अवधारणा के साथ बनाई जाती हैं कि बच्चे अपनी आयु के अनुसार और एक समान गति से सीख रहे होंगे। हालांकि, ऊपर बताए गए भागीदारी के विभिन्न तरीके यह दिखाते हैं कि यह मान्यताएं शुरुआती कक्षाओं की वास्तविक आयु संरचनाओं से शायद ही कभी मेल खाती हैं। परिणामस्वरूप, बच्चों के एक बड़े हिस्से से विकासात्मक तौर पर अनुपयुक्त पाठ्यक्रम में दक्षता हासिल करने की उम्मीद की जाती है।

3 गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी बेहतर स्कूल की तैयारी की तरफ बढ़ने में मदद करती है, जो प्राथमिक कक्षाओं में अच्छे परिणाम लाने की तरफ ले जाती है। परन्तु स्कूल में प्रवेश के दौरान ज्यादातर बच्चों की स्कूल की तैयारी का स्तर उम्मीद से काफी कम था।

चार से पांच साल की उम्र में नियमित शाला–पूर्व शिक्षा में भागीदारी पांच साल की आयु में बच्चे की स्कूल की तैयारी पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अर्थात् पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता स्कूल की तैयारी को बेहतर बनाने वाले प्रमुख कारकों के तौर पर उभरती है। स्कूल की तैयारी का प्राथमिक शिक्षा के दौरान, खासकर गणित और भाषा सीखने की उपलब्धियों से महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। इस अध्ययन के दौरान स्कूल की तैयारी के जिन क्षेत्रों का आकलन किया गया, उसमें बच्चों की संज्ञानात्मक, पूर्व–साक्षरता और पूर्व–संख्यात्मक दक्षता जैसे क्षेत्र शामिल थे।

औसत रूप से, 5 साल की उम्र में बच्चों की स्कूल की तैयारी का स्तर अपेक्षित स्तर से काफी कम था। अधिकांश बच्चे कम गुणवत्ता वाले ऐसे संस्थानों में जा रहे हैं, जो आयु के अनुसार उपयुक्त तरीकों, सामग्री और गतिविधियों का उपयोग करने में असफल होते हैं। इसलिए, बच्चे प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम को सीखने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक, पूर्व–साक्षरता, पूर्व–संख्यात्मक कौशलों और अवधारणाओं में दक्षता प्राप्त किये बिना ही स्कूल में आ जाते हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं और उनसे क्या करने की उम्मीद की जाती है, इनके बीच का अंतर काफी जल्दी सामने आ जाता है और बच्चों के एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के साथ यह अंतर तेज़ी से बढ़ता जाता है।

स्कूल की तैयारी और प्राथमिक कक्षाओं की उपलब्धियों के बीच सम्बन्ध

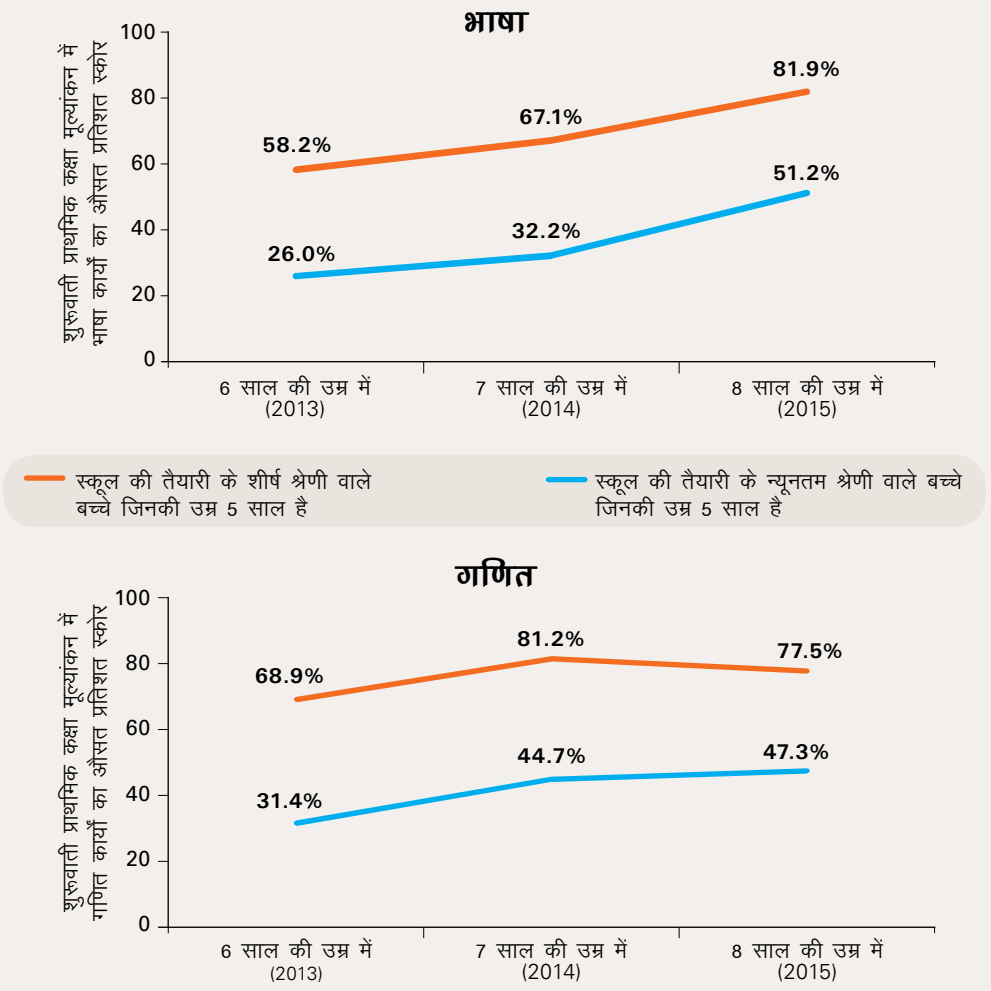

5 वर्ष के बच्चों की स्कूल की तैयारी का आकलन करने के लिए काम में लिए गए कुछ विशिष्ट उदाहरण

क्रमबद्ध चिंतन	पूर्व–संख्या	स्थान संबंधी अवधारणा	संख्या मिलान
खाली बाल्टी भरने की प्रक्रिया के लिए चित्रों का सही क्रम बताएं।	• *उस पेड़ की तरफ इशारा करें जिस पर सबसे कम सेब लगे हैं।* • *उस पेड़ की तरफ इशारा करें जिस पर सबसे ज्यादा सेब लगे हैं।*	*किस चित्र में बच्चा घर के पीछे दिखाई दे रहा है?*	*चित्रों और संख्याएं को पहचानें और चित्रों को गिनकर सही संख्या से मिलाएं।*
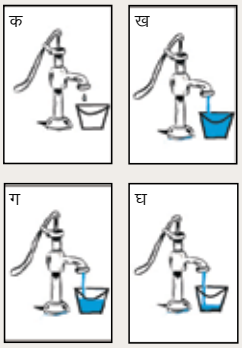	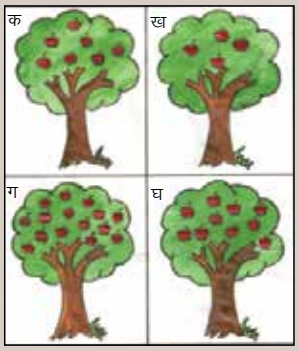	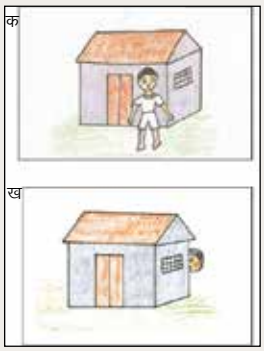	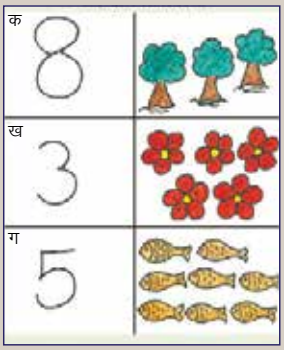

4 'बहुत से कामों में व्यस्त' आंगनवाड़ी केन्द्रों से लेकर 'मांग-आधारित' निजी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों तक, कहीं भी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बच्चों के विकास के अनुरूप नहीं है।

सरकार द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र और निजी शाला–पूर्व केन्द्र वर्तमान में भारत में उपलब्ध पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के दो प्रमुख मॉडल हैं। बच्चों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अन्य विकल्पों, जैसे कि गैर–सरकारी संगठनों या धार्मिक या अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में जाता है।

आंगनवाड़ी केन्द्र और निजी शाला–पूर्व केन्द्र कई मापदंडों पर काफी अलग हैं। जहां आंगनवाड़ी केन्द्र मुख्यतः पोषण या बच्चों की देखभाल करने वाले केन्द्रों की तरह काम कर रहे हैं, वहीं निजी शाला–पूर्व केन्द्र प्राथमिक स्कूलों का ही निचला विस्तार होते हैं। दोनों में से कोई भी मॉडल बच्चों को इस आयु में उनके सर्वांगीण विकास के लिए जरुरी वातावरण और सहयोग नहीं प्रदान करता है। विशेषकर, नियोजित खेल के अवसर, जो सफल पूर्व–प्राथमिक शिक्षा का बेहद महत्वपूर्ण घटक हैं, इन दोनों ही मॉडल्स में पूर्णतः अनुपस्थित हैं। दोनों प्रकार के पूर्व–प्राथमिक केन्द्रों में पूरा ध्यान पढ़ने, लिखने और गणित (3R's) के औपचारिक शिक्षण पर केन्द्रित होता है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के मौजूदा मॉडल्स

आंगनवाड़ी केन्द्र	निजी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्र
• सीमित बुनियादी ढांचा और कक्षाओं में सीखने–सिखाने की सीमित सामग्री	• बेहतर बुनियादी ढांचा, परन्तु कक्षाओं में सीखने–सिखाने की सीमित सामग्री
• छोटे बच्चों के समूह (2–4) में अधिक बच्चे जबकि बड़े आयु वर्ग (5–6) में कम बच्चे	• समान आयु वर्ग
• कम भागीदारी के कारण अच्छा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात	• उच्च विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात
• किसी समय–सारणी का पालन नहीं	• साप्ताहिक समय–सारणी का पालन और उसका निरीक्षण
• औपचारिक शिक्षण के साथ कुछ अनियोजित खेलकूद, कविताएं और बेहतर पारस्परिक संपर्क	• रटने पर आधारित औपचारिक शिक्षण, उम्र के अनुसार गतिविधियों का अभाव
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम के लिए केवल न्यूनतम प्रशिक्षण	• शिक्षक पूर्व–प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षित नहीं

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए समय का वितरण

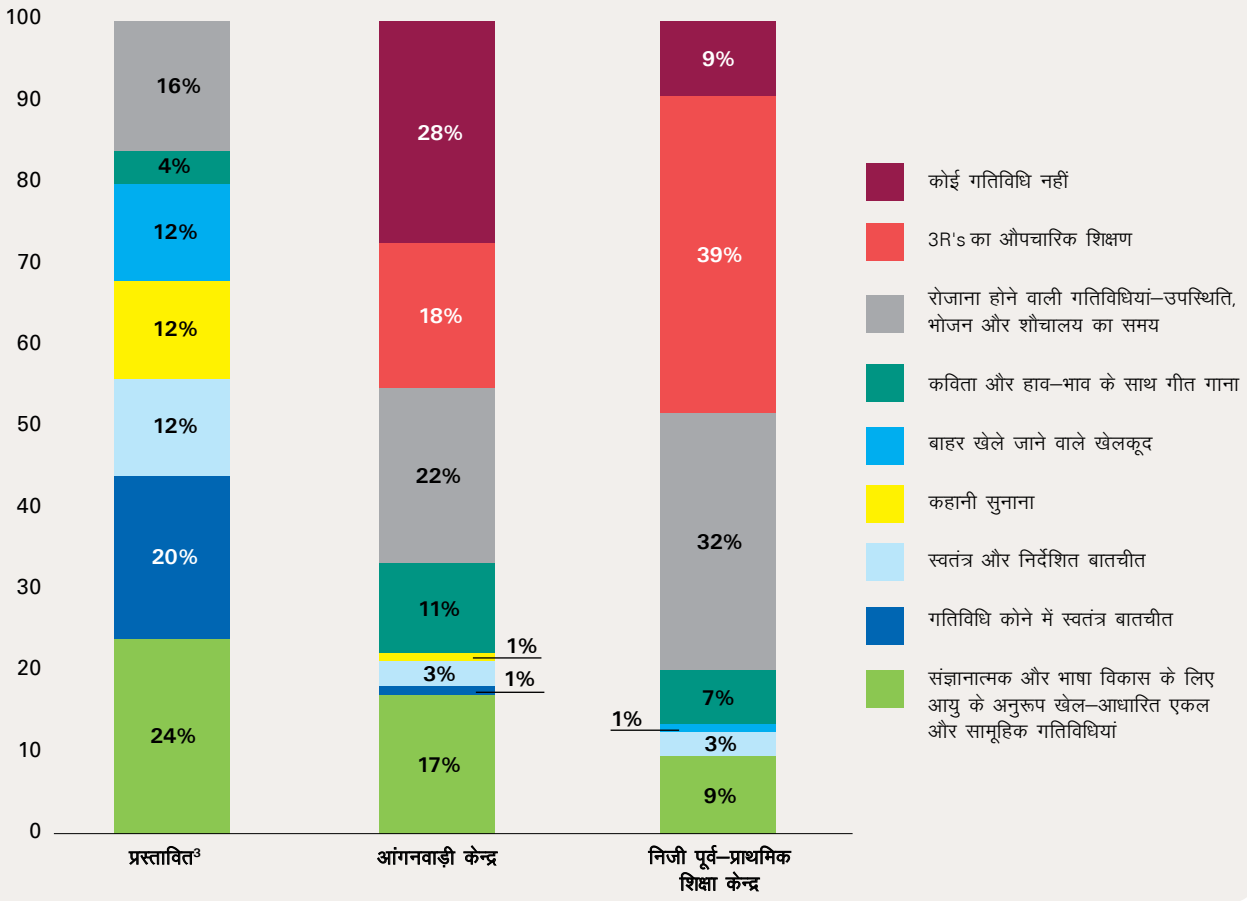

[3] इस नीति सारांश में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में विभिन्न गतिविधियों में लगने वाले समय का प्रस्तावित प्रतिशत और अच्छे अभ्यास के उभरते हुए मॉडल इस अध्ययन के दूसरे चरण के डेटा पर आधारित हैं। इनमें उद्देश्यपूर्ण ढंग से चुने गए पूर्व–प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शामिल थे, जो इस नीति सारांश में वर्णित 2 प्रमुख मॉड्ल्स से अलग थे। इनमें सरकार समर्थित बालवाड़ी, गैर सरकारी संगठनों के कार्यक्रम, और प्राथमिक विद्यालयों के साथ जुड़ी पूर्व–प्राथमिक कक्षाएं शामिल थीं।

नीतिगत स्तर पर मुख्य सिफारिशें/अनुशंसाएं

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अभिन्न हिस्से की तरह शामिल किया जाये

पूर्व–प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अनुभव प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बच्चों के सीखने को प्रभावित करते हैं। इस अनुसंधान के दायरे से परे, कई अंतर्राष्ट्रीय शोध इस बात को दर्शाते हैं कि गुणवत्तापूर्ण पूर्व–प्राथमिक शिक्षा का असर स्कूली शिक्षा के बाद तक बना रहता है। वर्तमान में केवल 6–14 साल की आयु के बच्चे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं, इसलिए बच्चों को उनके मस्तिष्क के विकास के सबसे अहम् चरण में इस अधिकार से वंचित रखना शिक्षा के अच्छे आधार को पाने के उनके अधिकार का उल्लंघन है।

यह सुनिश्चित करना कि बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाना तभी शुरू करें, जब वे विकासात्मक तौर पर इसके लिए तैयार हों

वर्तमान में बहुत सी राज्य सरकारें बच्चों को छः वर्ष की आयु से पहले भी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अनुमति देती हैं। आर.टी.ई. अधिनियम कक्षा एक में प्रवेश के लिए छः वर्ष या उससे अधिक आयु की शर्त रखता है। इसे पूरे देश में अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करने वाले बच्चे पाठ्यक्रम की मांगों को पूरा कर पाने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हों।

प्रारंभिक सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए तीन से आठ साल तक के बच्चों के लिए एक लचीला और खेल आधारित बुनियादी पाठ्यक्रम तैयार किया जाए

इस तरह का पाठ्यक्रम पूर्व–प्राथमिक से लेकर शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं तक के लिए होगा। इस तरह से, यह वर्तमान में प्रचलित प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के नीचे की तरफ के विस्तार की बजाय, 3 साल के बच्चे के लिए क्या सीखना जरूरी है इसे लेकर आगे की कक्षाओं के पाठ्यक्रम को तय करेगा। इस तरह के पाठ्यक्रम को विकास की इस बुनियादी अवस्था हेतु आवश्यक विशिष्ट विषय सामग्री और शिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए, जिसमें खेलकूद के अवसर व पूर्व–साक्षरता और पूर्व–संख्या के साथ ही बच्चों का सर्वांगीण विकास शामिल है। इस आधारभूत अवस्था में सहयोग देने के लिए उपयुक्त शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम बनाया जाए और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समकक्ष स्थिति वाले पूर्व–प्राथमिक शिक्षकों के कैडर का विकास किया जाए।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए एक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करना

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा नीति 2013 द्वारा अनुशंसित, आरंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण या प्रमाणन प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए। सरकारी, निजी और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित हर तरह के पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों को इसके दायरे में होना चाहिए, ताकि गुणवत्ता के मानकों और विकासात्मक तौर पर उपयुक्त तरीकों/कार्य प्रणाली के पालन को इन संवेदनशील वर्षों के दौरान सुनिश्चित किया जा सके।

अभिभावकों, समुदाय और अन्य हितधारकों तक पहुंचना ताकि विकासात्मक रूप से उचित पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की मांग को आगे बढ़ाया जा सके

सभी हितधारकों, अर्थात् नीति निर्धारकों, शिक्षकों, माता–पिता और अन्य लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि क्यों और कैसे छोटे बच्चों के सीखने की जरुरतें औपचारिक शिक्षा में काम में लिए जाने वाले तरीकों से अलग होती हैं, और क्यों इन जरूरतों को पूरा करना बच्चे के आजीवन सीखने और विकास के लिए मजबूत नीव का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवाओं के संदेशों और मीडिया अभियान चलाए जाने व पूर्व–प्राथमिक कार्यक्रमों और अभिभावकों के मध्य सीधे संवाद आदि गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही ऐसी सरल विधियों और सामग्रियों की संरचना की जानी चाहिए जो अभिभावकों को अपने बच्चों के सीखने में सक्रिय सहयोग देने में सक्षम बना सकें।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में अच्छे तरीकों पर आधारित उभरते हुए मॉडल जो स्कूल की तैयारी को बढ़ावा देते हैं

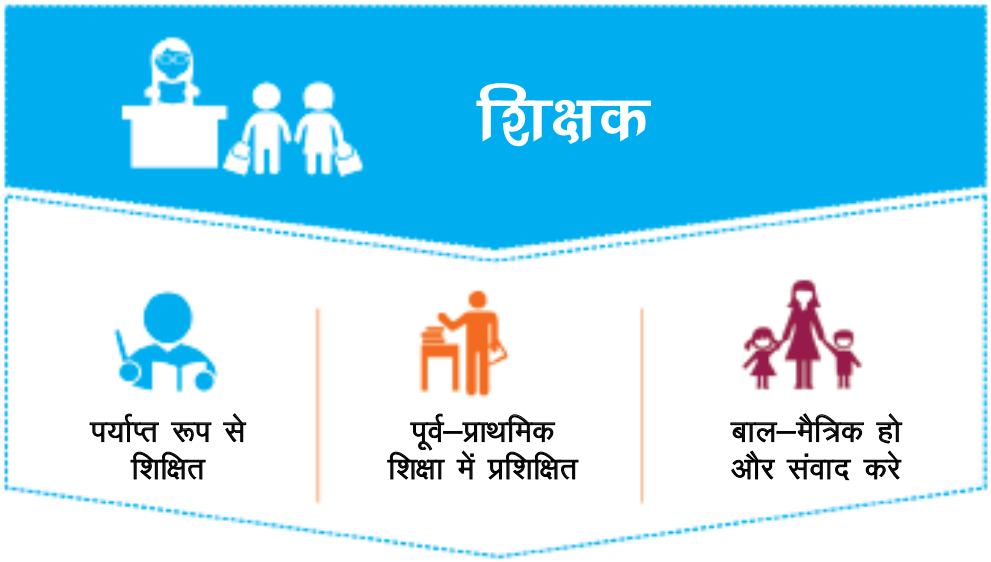

- संवादात्मक और व्यक्तिगत वातावरण का निर्माण करे
- बच्चों को सवाल पूछने और उत्सुकता दिखाने के लिए प्रेरित करे
- बच्चों के साथ संवाद करते हुए उन्हें सोचने और रचनात्मक होने में मदद करे

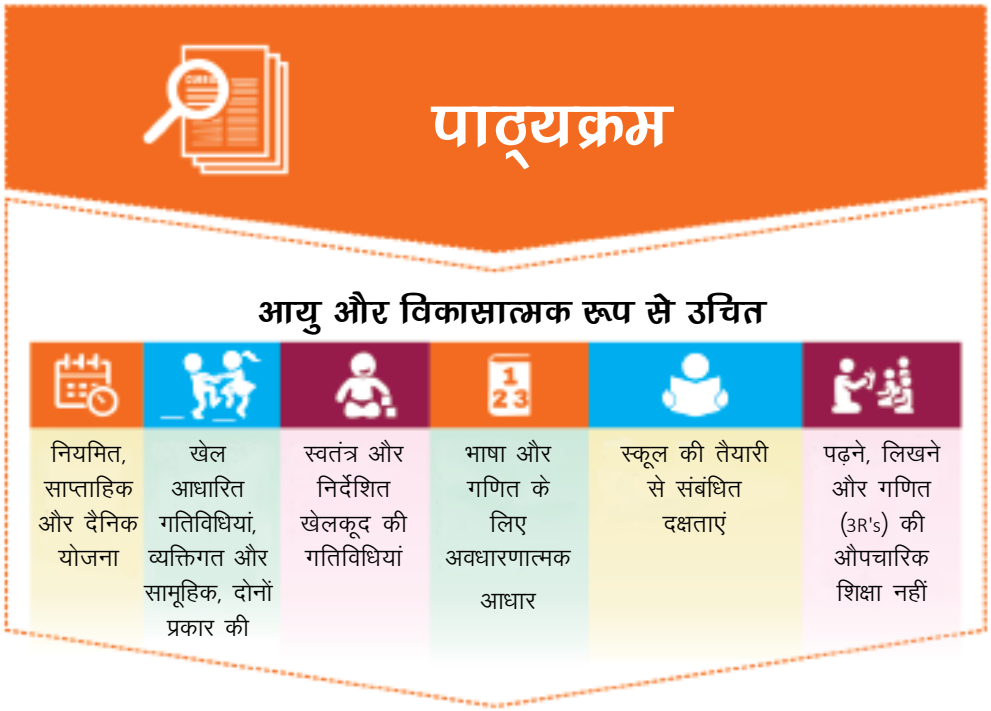

बेहतर स्कूल की तैयारी

- स्कूल में बेहतर समायोजन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तैयारी
- गणित और भाषा सीखने के लिए संज्ञानात्मक तैयारी